न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13 / 2021(राजसमन्दआर्डर)

संजय कुमार पिता धर्मचन्द जी, जाति सिंघवी जैन, निवासी नाथद्वारा, तहसीलनाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. यूनियन बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, राजसमन्द (राज.)
2. यूनियन बैंक जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, 446, भोपालपुरा मेन रोड़, शास्त्री सर्कल के पास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णयउपखण्ड अधिकारीराजसमन्द
दिनांक04.01.2021प्र॰सं॰86 / 2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश तलेसराअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्री प्रवीण देवपुरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णयदिनांक 19–07–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बडारडा में आराजी नंबर 1301 रकबा 0.2428 हैक्टरस्थित है, जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। भूमि वादी की सहखातेदारी में स्थित है। वादी उक्त भूमि में आने जाने हेतु पश्चिम दिशा में स्थित मूनलाईट मार्बल प्रा.लि. की आराजी से होकर इसका उपयोग–उपभोग करता है। वादी की भूमि में आने जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 से मिलता है। वादी अपनी भूमि में आने जाने के लिए आराजी नंबर 1281, 1282, 1283, 1284 से होकर एवं करता है एवं इसका वर्षो से

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। आराजी नंबर 1301 से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी जानबूझकर वादी को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी की जानकारी में आया है कि प्रतिवादी वादी की उक्त भूमि को अपनी बताकर उसे बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी की आराजी नंबर 1301 रकबा 0.2428 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें तथा आराजी नंबर 1281, 1282, 1283, 1284 में बने हुए रास्ते के उपयोग–उपभोग में रूकावट पैदा नहीं करें एवं रास्ते की भूमि किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस, निलाम या अंतरण नहीं करें।

प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151 जा.दी. व धारा 34 Sarfaesi Act 2002 पेश कर निवेदन किया कि वादी ने आराजी नंबर 1281, 1282, 1283, 1284 के संबंध में विवाद बताया है, जो औद्योगिक रूपान्तरित होकर मैसर्स मूनलाईट प्रा.लि. के नाम है तथा प्रतिवादी बैंक के पक्ष में मैसर्स मूनलाईट प्रा.लि. द्वारा ऋण के एवज में उक्त भूमि बंधक रखी गयी है तथा मैसर्स मूनलाईट प्रा.लि. द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किये जाने के कारण वित्तीय आसतियों का प्रतिभूमिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (Sarfaesi Act) के तहत जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द द्वारा सम्पत्ति कुर्क की जाकर उक्त औद्योगिक सम्पत्तियों का कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया गया है। Sarfaesi Act की धारा 34 के तहत आप न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–01–2021 से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्रस्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09–07–2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण देवपुरा उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.2021 की नकल उसे दिनांक 01.02.2021 को मिली। मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य है। अपीलान्ट ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाई जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि काश्त कीहै तथा काश्त की भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा का वाद केवल राजस्व न्यायालय की सुनवाई की अधिकारिता है। उन्होंने यह भी बताया कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के यहां न तो रहन है न ही जिला कलेक्टर से कब्जा प्राप्त करने का आदेश प्राप्त कर रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में सरफेसी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। क्षेत्राधिकार का बिन्दु वाद में किये गये अभिवचन के आधार पर एवं पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही किया जा सकता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वानअभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि अनुसार बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट अपनी आराजी नंबर 1301 में आने जाने हेतु आराजी नंबर 1281, 1282, 1283, 1284 से रास्ता चाहता है, जबकि सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द के आदेश दिनांक 10–12–2019 से आराजी नंबर 1281, 1282, 1283, 1284 कुर्क की जाकर कब्जा रेस्पोन्डेन्टगण को सुपुर्द किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में विवादित भूमि के संबंध मेंसरफेसी एक्ट के तहत कार्यवाही हो जाने के कारण प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं माना है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested

इसीआधार पर रेस्पोन्डेन्ट का आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151 जा.दी. व धारा 34 Sarfaesi Act 2002 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–01–2021यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested